संख्या- 64/2018/2495/33-3-2018-118/2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25 जुलाई, 2018

विशय- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 जुलाई, 2018 को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) तथा वृहत स्वच्छता अभियान के आयोजन के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत है कि दिनांक 23.07.2018 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्र एजेन्सी के माध्यम से 01 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 तक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) एवं 25 जुलाई, 2018 से 25 अगस्त, 2018 तक संचालित होने वाले वृहद स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की गयी थी। उक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश निम्नवत् है-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा 01 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 तक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) एवं 25 जुलाई, 2018 से 25 अगस्त, 2018 तक संचालित होने वाले वृहद स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 2419/33-3-2018-118/2018 दिनांक 19.07.2018 में उल्लिखित समस्त गतिविधियों एवं निर्देशों को शत-प्रतिशत अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराया जाए।
2. अगले तीन दिन के अन्दर समस्त जनपद स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) तथा वृहत स्वच्छता अभियान की कार्ययोजना बना ले एंव ग्राम प्रधानों की एक उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित कराये।
3. इस अभियान में सूचना, शिक्षा एवं संचार (I.E.C.) गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रत्येक ग्राम, विकास खण्ड, तहसील एवं जिले में क्रियान्वित करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु स्वच्छ भारत मिशन में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, परन्तु अधिकांश जनपदों का व्यय मानक के सापेक्ष काफी कम है। इसमें तत्काल तेजी लाई जाय।
4. संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम की धारा 15 के clause xxiii में दिये गये प्रावधानों के अनुरुप एक सप्ताह के अन्दर ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जलभराव व कूड़ा करकट की समस्या को दूर करनें, जल-भराव के लिए सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराने, एवं जैविक कूडे-करकट के लिए खाद गड्ढों का निर्माण कराने तथा सार्वजनिक भवनों जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र, आँगनबाड़ी केन्द्र, हाट बाजारों एवं धार्मिक स्थलों पर सूखे कूडे-करकट के लिए निर्धारित स्थल पर डस्टबिन की व्यवस्था की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा इन कायोर्ं पर ग्राम निधि-1 की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है तथा निजी संस्थाओं व व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जा सकता है।

http://shasnadeshup.nic.in

5. प्रत्येक जनपद न्याय पंचायतवार नोडल अधिकारी एवं जोनल अधिकारी नामित करते हुए उनके उत्तरदायित्व स्पष्ट कर स्वच्छ सर्वेक्षण में उल्लिखित मानको के अनुसार तैयारी पूर्ण करे। स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा चयनित स्वतन्त्र संस्था द्वारा किया जायेगा। इसमें समस्त जिलों एवं प्रदेश को उच्च स्थान प्राप्त करना हैं।
6. ग्रामों में जनसमुदाय को वेक्टर जनित बीमारियों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जागरूक करें।
7. स्वच्छ सर्वेक्षण को आम जनों में चर्चा एवं रूचि का विषय बनाये ताकि वे इसकी गतिविधियों में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
8. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, बाजारों तथा धार्मिक स्थलों पर शौचालय व साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जहाँ शौचालय उपलब्ध न हों वहाँ तत्काल शौचालय का निर्माण कराया जाय। सम्बन्धित विभाग अपने से सम्बन्धित स्थलों में यह व्यवस्था सुनिश्चित करांये।
9. गांव की नालियों की साफ-सफाई एवं कूडे-क़रकट के समुचित निस्तारण लिए उचित प्रबन्ध कर लिया जाये।
10. स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 31 जुलाई, 2018 तक समस्त राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायतें तैयार हो जाये।
11. प्रदेश के प्रत्येक परिवार को इज्जत घर उपलब्ध कराने हेतु सभी उद्यमियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अभियान का सहभागी बनाया जाये।
12. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) को एक जन-अभियान व जन-आन्दोलन बनाते हुए इज्जत घरों का निर्माण कराना है, एवं निर्मित कराये गये शौचालयों का शत प्रतिशत प्रयोग भी सुनिश्चित करना है।
13. 30 सितम्बर, 2018 तक प्रदेश को खुले में शौचमुक्त घोषित करना है।
14. समस्त जिलाधिकारी प्रत्येक दशा में शौचालय की गुणवत्ता एवं उसके प्रयोग सुनिश्चित करायें।
15. जनपदों में स्वच्छता के प्रति ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि सामान्य जन स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाये।
16. कई जनपद यथा- बस्ती, सुलतानपुर, बांदा, खीरी, रायबरेली, बलिया, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, आजमगढ़ आदि की प्रगति असंतोषजनक है, इसमें पर्याप्त सुधार लाया जाय।
17. गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा एक स्वतन्त्र संस्था का चयन किया जायेगा, जिसके माध्यम से निर्मित कराये गये इज्जत घरों का सत्यापन कराया जायेगा। किसी भी स्थिति में गलत व भ्रामक सूचनाओं का प्रेषण न किया जाये।
18. प्रदेश में 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक को प्रतिबन्धित कर दिया है एवं 02 अक्टूबर, 2018 से सभी प्रकार के प्लास्टिक को प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में जनपदों में विशेष जागरूकता उत्पन्न की जाए।
19. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों को भी स्वच्छता के लिए उत्तरदायी बनाया जाये।
20. सार्वजनिक स्थलों/हाट बाजारों/भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नियमानुसार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एवं वृहद स्वच्छता अभियान के इस महत्वपूर्ण कार्य में स्वयं सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने, प्रतिदिन नियमित समीक्षा करने तथा अपने जनपद को सम्मानजनक स्थान दिलाने की कार्यवाही करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)

मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/ बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्राम्य विकास विभाग एवं कृृशि विपणन एवं विदेष व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन ।**
2. **समस्त नोडल अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
4. **विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।**
5. **मिशन निदेशक/निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।**
6. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को उक्त निर्देषों का अनुपालन सुनिष्चित कराने हेतु प्रेशित।**
7. **समस्त मण्डलीय उप निदेषक(पं0), उ0प्र0।**
8. **समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।**
9. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in